APP-A
Crime-I

FORM N0. III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

गुमान बनाम प्रदीप कुमार व अन्य

किस्म मुकदमा/प्रा0 प0 बा0 दा0./नं0 254/सन् 2019 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.2019	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक श्री हेमसिंह राठौड उपस्थित जिन्हें बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है। संभागीय आयुक्त अजमेर	
24.12.2019	पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक श्री हेमसिंह राठौड द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपील संख्या 80/2012 (2011/00060) बउनवान गुमान बनाम प्रदीप कुमार व अन्य में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2019 जिसके द्वारा अपील को अदम तकमील में खारिज किया गया है, को पुनः नम्बर लिया जाकर अपील पुनः दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 19.06.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.06.2019 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि अपील में विपक्षीगण के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील को अदम तकमील में खारिज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी विपक्षीगण के नोटिस प्रस्तुत करने हेतु तत्पर था परन्तु किसी कारणवश नोटिस प्रस्तुत नहीं कर सका तथा इस प्रार्थना पत्र के साथ विपक्षीगण के रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे है। न्यायहित में अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवायी गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अन्त में प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावें। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्दर मियाद होने से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

बाजदायरी प्रार्थना पत्र एल आर– 204/19 गुमान बनाम प्रदीप कुमार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थी अधिवक्ता :– श्री हेम सिंह राठौड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील व प्रार्थना पत्र बाजदायरी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2012 में दर्ज होकर विचाराधीन चला आ रहा था। प्रकरण प्रत्यर्थी के नोटिस पेश करने हेतु दिनांक 21.08.2012 से लगातार पेशी पर नियत चला आ रहा था। पत्रावली लगभग 7 वर्ष तक इसी आधार पर लम्बित रहीं है। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक को नोटिस पेश करने हेतु न्यायहित में कई अवसर दिये गये यहां तक की कई बार हिदायत भी दी गई किन्तु प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रत्यर्थी के नोटिस पेश नहीं किये गये और इसी कारण मूल अपील दिनांक 10.05.2019 को अदम तकमील में खारिज की गई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी में लगभग 7 वर्ष तक न्यायहित में लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रत्यर्थी के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाने के सम्बन्ध मे कोई युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत कारण अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण तथा नियमानुसार इस न्यायालय में पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार होकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखील दफ्तर हो । संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 12:40:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: